न्यायालय– सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी, खीरी।
परिवाद संख्या–992/2025
सी0एन0आर0नं0–यू0पी0एल0पी0–120034372025

शेरू बनाम राधेश्याम आदि।

दिनांक–17.07.2026

पत्रावली पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित।

उक्त परिवाद दिनांक–26.09.2025 को दाखिल किया गया। दिनांक–17.10.2025 को परिवादी द्वारा धारा–223 बी0एन0एस0एस0 का बयान अंकित किया गया। पत्रावली वास्ते 225 बी0एन0एस0एस0 के बयान हेतु नियत है। परिवादी द्वारा अन्तर्गत धारा–225 बी0एन0एस0एस0 में किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। पूर्व में कई तिथियों से परिवादी उपस्थित नहीं है। परिवादी को कई अंतिम अवसर प्रदान किये जा चुके हैं। उक्त परिवाद साक्ष्य के अभाव में अंतर्गत धारा–226 बी0एन0एस0एस0 में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद पत्र साक्ष्य के अभाव में अन्तर्गत धारा–226 बी0एन0एस0एस0 में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(पिंकी वर्मा)
सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0
मोहम्मदी खीरी।
जे0ओ0कोड–यू0पी03627

Digitally signed by Pinky Verma
Date: 2026.07.27 13:58:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court